

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

गुरजिन्द्र सिंह बनाम स्टेट जरिये तहसीलदार पदमपुर

अपील प्रकरण सं० 88/2018

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
1.2018	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 13.12.2018 को पेश हो।	23/12
13/12/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश मगण पर ... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 29/11/18 को पेश हो।	
29/11/18	अपीलार्थी अधिवक्ता पत्रावली वास्ते तलबी / रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक - 8/12/18 को पेश हो।	
8/12/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश मगण पर ... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 18/11/18 को पेश हो।	
18/11/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश मगण पर ... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 21/11/18 को पेश हो।	
21/11/18	बार सभ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ... है। पत्रावली दिनांक 24/11/18 को पेश हो।	
24/11/18	बार सभ द्वारा कार्य स्थगित रखा है। पत्रावली पूर्वनिहाल दिनांक 9/12/18 को पेश हो।	
9/12/18	अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी कि 23/10/18 को पेश हो।	
23/10/18	बार सभ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ... प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 15/11/18 को पेश हो।	
15/11/18	पीठासीन अधिकारी अवकाश मगण पर ... कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/12/18 को पेश हो।	

15.07.24 अखिलमता उभयपक्ष उपस्थित TDR पत्रांक 77
जिसे 21/8/24 को फाईल अंतर्गत जमा की जा. मिल
होगी पीठमैल अखिलकारी "अवकाश पर" ही फा.बनी
वास्तु बहम जिसे 12/8/24 को पेश हो

12.8.24 अखिलमता उभयपक्ष उपस्थित बहम हेतु अवसर
चाहा, फा. जि. जा. पत्रावली वास्तु बहम जिसे
11.09.24 को पेश हो

Host Press

21/9/24
अखिलकारी
21/9/24
पेश हो

अपीलाधी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाधी
के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर विवेक विधि वि
उपरोक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय
में विचारधीन है जो बहम में विचारधीन है
उक्त अपील को अपीलाधी आगे नहीं चलाया
पाएगा है इस कारण उपरोक्त शीर्षक की
पत्रावली में कार्यवाही समाप्त कर कठिलीपाना
में जमा कएते का कठिली विधि जान्य न्यायोचित
है साथ ही अपीलाधी के अधिवक्ता ने नोटिस
कर पुकरण में आगे कार्यवाही नहीं कएते का
विवेक विधि।

अतः अपीलाधी के अधिवक्ता द्वारा
नोटिस कएते के कारण एवं पत्रावली का
कामपत्ती में राजीनामा हो जाते के कारण
दलगत अपील इसी स्टेज पर श्वारीज की
जाती है कठिली की अति. सम्बन्धित नाफ
तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली केवल
शुभार की जाकर वाड तहसील दायित्व स्तर
हो।

आदेश सुनाया गया